फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

लल्लूराम बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र मु0नं0 107/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ नवनीत कुमार आर0ए0एस0

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 8/1/25 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली में जवाब स्टेट प्राप्त हो चुका है। प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है तथा प्रार्थीगण का निवासी स्थान ग्राम गीजगढ तह0 सिकराय एवं जाति ब्राहम्ण है लेकिन ग्राम गीजगढ में स्थित उक्त भूमि में खाता संख्या 906 एवं 907 में वाके मौजा गीजगढ के स्थान पर बांदीकुई कर दिया तथा खाता संख्या 13 में प्रार्थीगण के निवास स्थान पर कालवान दर्ज कर दिया तथा जाति ब्राहम्ण के स्थान पर बैरवा दर्ज कर दिया जो कि गलत है क्योंकि प्रार्थीगण की जाति ब्राहम्ण है तथा निवास स्थान ग्राम गीजगढ है। प्रकरण में तहसीलदार सिकराय से भी रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 में यह तथ्य अंकित किया गया है कि उक्त भूमि में मिसल बन्दोबस्त 2009–22 में उक्त खातेदारान की जाति ब्राहम्ण एवं निवास स्थान गीजगढ अंकित है। तथा प्रकरण में तहसीलदार सिकराय द्वारा पेश जवाब स्टेट दिनांक 17.12.2024 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है तथा यह अंकित किया है कि खाता संख्या 13 प्रार्थीगण की जाति बैरवा के स्थान पर ब्राहम्ण सा0 देह खातेदार एवं खाता संख्या 906 एवं 907 में सा0देह बांदीकुई के स्थान पर सा0देह खातेदार दर्ज किया जाना उचित है। उक्त दस्तावेजात एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र न्यायोचित एवं स्वीकार योग्य है।<br>अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम गीजगढ में स्थित भूमि खाता संख्या 13, 906 एवं 907 में प्रार्थीगण की जाति ब्राहम्ण एवं निवास स्थान गीजगढ दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना करें।<br>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। | |